FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर मुकाम (SDO) बायतु

हरियो देवी बनाम लालाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० आवेदन 111,128 RR नं. 103/2022 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/03/2022	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री गणेश कुमार ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 18/04/2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर	
18/04/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण को नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। इन्तजार होकर पत्रावली फाईल दिनांक- 05/05/2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर	
05/05/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण को नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनको ~~करीब~~ 30 दिन से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। जिनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ न ही वे स्वयं उपस्थित हुए न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई	

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

गई, अन्तिम आवाज 5:45 pm पर लगाई गई, विपार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने से विपार्थीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपार्थीगणों के खातेदारी खेत पास-पास व सेढा मेढ आये हुए है खेतों के मध्य जो पुरानी माढे व कोर मांडे हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है जिससे प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है प्रार्थी व विपार्थीगणों के मध्य खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा तनाजा बना रहता है प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करने हेतु नेष्यमबंदी करवानी आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेष्यमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेष्यमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेष्यमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बन्धित भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पत्थर नेष्यमबंदी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर

न्यायालय उपख…
प्रकरण नंबर/2022/625
प्रार्थी
बनाम
1. हरियों देवी पत्नी दमाराम, जाति जाट, निवासी बनिया धोरा, पटवार मण्डल बायतु भीमजी, तहसील बायतु (बाड़मेर)

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 625 दिनांक : 05/05/2022

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. हरियों देवी पत्नी दमाराम, जाति जाट, निवासी बनिया धोरा, पटवार मण्डल बायतु भीमजी, तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. लालाराम पुत्र नगाराम वगैरा 19, जाति जाट, निवासी धीरोणियों की ढाणी, पटवार मण्डल बायतु रतेऊ, तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 103 / 2022

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा – धीरोणियों की ढाणी, पटवार मण्डल – रतेऊ, तहसील – गिड़ा, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 965 / 204 रकबा 6.3616 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक : 05/05/2022

क्रमांक : वाद / 2022 / 626-630

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का रतेऊ को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री हरियों देवी पत्नी दमाराम,
4. विप्रार्थी श्री लालाराम पुत्र नगाराम वगैरा 19,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु / गिड़ा / नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु